

हरियाणा विधान सभा

2022 का विधेयक संख्या-37 एच०एल०ए०

हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबन्धक) संशोधन विधेयक, 2022

हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबन्धक) अधिनियम, 2014

को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबन्धक) संशोधन अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) यह 24 अक्तूबर, 2022 से लागू हुआ समझा जाएगा।

2. हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबन्धक) अधिनियम, 2014 की धारा 16 में,—

2014 के हरियाणा अधिनियम 22 की धारा 16 का संशोधन।

(i) उप-धारा (8) के विद्यमान परन्तुकों के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“परन्तु सरकार द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सभी इकतालीस सदस्य, अपना प्रधान, वरिष्ठ उप प्रधान, कनिष्ठ उप प्रधान, महासचिव, संयुक्त सचिव और छह सदस्य निर्वाचित करेंगे, जो समिति के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य होंगे तथा इसका प्रथम अधिवेशन सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा बुलाया जाएगा और उसकी अध्यक्षता करेगा। तदर्थ समिति और कार्यकारी बोर्ड, नई समिति बनने के बाद अस्तित्वहीन हो जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि अठारह मास की अवधि के भीतर धारा 11 के अधीन चुनाव नहीं करवाए जाते हैं, तो सरकार द्वारा अठारह मास की और अवधि या जब तक चुनाव नहीं करवाए जाते हैं, जो भी पहले हो, के लिए नई तदर्थ समिति नामनिर्दिष्ट की जाएगी :

परन्तु यह और कि नई निर्वाचित हरियाणा गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति द्वारा कार्य ग्रहण करने के बाद, तदर्थ समिति, नई निर्वाचित समिति को कार्यभार सौंपेगी।”;

(ii) उप-धारा(8) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

“(9) सरकार, समिति या तदर्थ समिति, जैसी भी स्थिति हो, के किसी एक सदस्य को संरक्षक के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगी, जो निर्वाचित कार्यकारी बोर्ड

का सदस्य होगा। ऐसा नामनिर्देशन करते समय, सरकार, यदि आवश्यक समझे, समिति के प्रधान या कार्यकारी बोर्ड या तदर्थ समिति के प्रधान या कार्यकारी बोर्ड, जैसी भी स्थिति हो, से परामर्श कर सकती है।”।

निरसन तथा
व्यावृत्ति।

3. (1) हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबन्धक) संशोधन अध्यादेश, 2022 (2022 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2), इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम 2014 इसके बाद संक्षिप्तता के लिए अधिनियम के रूप में संदर्भित को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 2014 की रिट याचिका सिविल संख्या 735 में हरभजन सिंह बनाम भारत संघ शीर्षक से चुनौती दी गई थी। और दिनांक 07.08.2014 के आदेश के तहत गुरुद्वारों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। उक्त निर्देशों के आलोक में उक्त अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा 8 के तहत प्रदान की गई 18 महीने की सीमा की अवधि के बाद तदर्थ समिति जारी रही। उक्त रिट याचिका को अंततः दिनांक 20.09.2022 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा 8 के अन्तर्गत प्रावधान है कि-

"परन्तु यह और कि

सरकार द्वारा नामित सभी इकतालीस सदस्य अपने अध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष कनिष्ठ उपाध्यक्ष महासचिव संयुक्त सचिव और छह सदस्यों का चुनाव करेंगे जो समिति के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य होंगे। पहली बैठक सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा बुलाई और अध्यक्षता की जाएगी। नई कार्यकारी समिति के गठन के बाद तदर्थ समिति और कार्यकारी बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

परन्तु यह और कि

नई चुनी गई हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा चार्ज संभालने के बाद तदर्थ समिति नई चुनी गई कमेटी को चार्ज सौंप देगी।"

अब, अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (8) के तहत प्रावधान के अनुसार, जहां चुनाव नहीं होते हैं और 18 महीने की अवधि के भीतर नई समिति का गठन नहीं किया जाता है, वहां सहारा लेने के लिए उक्त अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। पूर्वोक्त अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा संरक्षक के नामांकन का प्रावधान भी नहीं है।

तदनुसार, यह प्रस्ताव धारा 16 (8) में संशोधन करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, जैसा कि ऊपर वर्णित तरीके से धारा 16 खंड (8) में प्रावधानों को प्रतिस्थापित करके और खंड (8) के तहत एक नया खंड यानी खंड (9) शामिल करके किया गया है।:-

परन्तु कि सरकार द्वारा नामित सभी इकतालीस सदस्य अपने अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव और छह सदस्यों का चुनाव करेंगे, जो समिति के कार्यकारी बोर्ड के पहले सदस्य होंगे। बैठक का आयोजन एवं अध्यक्षता प्रशासन द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा की जायेगी। नई समिति के गठन के बाद तदर्थ समिति और कार्यकारी बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा:

परन्तु कि यदि धारा 11 के तहत चुनाव अठारह महीने की अवधि के भीतर नहीं होते हैं, तो सरकार द्वारा अठारह महीने की अवधि के लिए या चुनाव होने तक, जो भी पहले हो, एक नई तदर्थ समिति नामित की जाएगी :

परन्तु यह और कि नई चुनी गई हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा कार्यभार संभालने के बाद तदर्थ समिति नवनिर्वाचित समिति को प्रभार सौंप देगी।"

(ii) उप-धारा (8) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :

“(9) सरकार, यथास्थिति, समिति या तदर्थ समिति के सदस्यों में से किसी एक को संरक्षक के रूप में नामित कर सकती है, जो निर्वाचित कार्यकारी बोर्ड का सदस्य होगा। ऐसा नामांकन करते समय, सरकार, यदि आवश्यक समझी जाए, समिति के अध्यक्ष या कार्यकारी बोर्ड या तदर्थ समिति के अध्यक्ष या कार्यकारी बोर्ड, जैसा भी मामला हो, से परामर्श कर सकती है।”

प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य उस मामले में सहारा प्रदान करना है, जहां चुनाव नहीं होते हैं और अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (8) के तहत 18 महीने की अवधि के भीतर नई समिति का गठन नहीं किया जाता है। पूर्वोक्त अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा संरक्षक के नामांकन का प्रावधान भी शामिल किया जाना आवश्यक है।

अनिल विज,
गृह मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक : 23 दिसम्बर, 2022

आर० के० नांदल,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 के हरियाणा गवर्नमेंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 से

धारा 16(8) इस अधिनियम के लागू होने के बाद चुनाव होने तक, हरियाणा सरकार द्वारा कार्यकारिणी के 41 सदस्यों वाली एक तदर्थ समिति नामित की जाएगी, जो चल और अचल पदाधिकारियों का संपत्तियों सहित गुरुद्वारों की सभी संपत्तियों का प्रबंधन, पर्यवेक्षण और अधिग्रहण चुनाव करेगी। नई समिति गठित होने तक हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के मामलों के प्रबंधन के लिए इस तरह के प्रभार को जारी रखेंगे, जो वार्डों के परिसीमन, पात्र मतदाताओं के पंजीकरण आदि पर व्यतीत की गई अवधि सहित अठारह महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परन्तु यह और कि सरकार द्वारा नामित सभी इकतालीस सदस्य अपने अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव और छह सदस्यों का चुनाव करेंगे, जो समिति के कार्यकारी बोर्ड के पहले सदस्य होंगे। बैठक का आयोजन एवं अध्यक्षता शासन द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा की जायेगी। नई कार्यकारी समिति के गठन के बाद तदर्थ समिति और कार्यकारी बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

परन्तु यह और कि नवनिर्वाचित हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा कार्यभार संभालने के बाद तदर्थ समिति नवनिर्वाचित कमेटी को प्रभार सौंप देगी।

